कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या – 04/2026 विभागीय अपील
पंजीयन दिनांक – 06.02.2026

अपीलार्थी :– श्री महेश पंचाल, सहायक राजस्व लेखाधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला कलक्टर, सलूम्बर

अपील अंतर्गत नियम–23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, सलूम्बर दिनांक 23.01.2026

आदेश

दिनांक 30/04/2026

यह अपील अपीलार्थी ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, सलूम्बर के आदेश क्रमांक एफ.1(सी)17(17)स्था/2025/46 दिनांक 23.01.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 में कार्यवाही उपरान्त अपीलार्थी की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है जिला कलक्टर, सलूम्बर ने अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत निम्न आरोपों से आरोपित किया गया।

आरोप संख्या 1 – यह कि श्री महेश पंचाल, सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय, तहसील कार्यालय, सराडा–जिला सलूम्बर को निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक प–2(3)रामले/स्था/स्थानान्तर/2019/880 दिनांक 06.09.2023 आदेश संख्या 85/2023 द्वारा सप्ताह में दो दिवस जिला कलक्टर कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार आपके वर्तमान कार्य के साथ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 10.07.2025 को जिला

संभागीय आयुक्त

कलक्टर, सलूम्बर द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, तदोपरान्त भी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए।

यह कि पूर्व में भी कई बार बिना सूचित किये एवं बिना अनुमति प्राप्त किये स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे। उक्त कृत्य राजकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने का परिचायक है, जिसके लिये आरोपित है।

आरोप संख्या 2 – यह कि कार्यालय समय से पूर्व ही कार्यालय छोडा जाता है एवं फॉन स्वीच ऑफ कर लिया जाता है। उक्त कृत्य राजकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने का परिचायक है, जिसके लिये आरोपित है।

जिला कलक्टर ने अभिलेख का परीक्षण करने उपरान्त दिनांक 23.01.2026 को अपीलार्थी की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील सी.सी.ए. नियम–1958 के नियम–23 के तहत प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर जिला कलक्टर, सलूम्बर से अभिलेख तथा अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई तथा अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से सुना गया।

अपीलार्थी ने उक्त आरोपों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें **आरोप संख्या** 1 बाबत बताया कि दिनांक 10.07.2025 को जिला कलक्टर के निजी सहायक द्वारा दूरभाष के माध्यम से सायं 03.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। निबधंक महोदय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश संख्या 85/2023 द्वारा सप्ताह में दो दिवस जिला कार्यालय सलूम्बर का अतिरिक्त चार्ज होने होने से उस समय अपीलार्थी मूल पदस्थापन स्थान तहसील कार्यालय सराड़ा में राजस्व लेखा संबंधी कार्य संपादन कर रहा था। जिला कार्यालय सलूम्बर से करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित होने से दूरभाष पर प्राप्त निर्देशों के उपरान्त सलूम्बर जिला मुख्यालय साधनों के अभाव में कार्यालय समय पर नहीं पहुंच सका। दिनांक 11.07.25 को जिला कार्यालय में उपस्थित होकर राजस्व लेखा संबंधित कार्य का संपादन किया तथा जिला कलक्टर महोदय के समक्ष उपस्थिति देने हेतु 2–3 बार श्रीमान् जिला कलक्टर सलूम्बर के कक्ष के बाहर उपस्थित हुआ लेकिन जिला कलक्टर महोदय वी.सी. एवं विधायक महोदया से मीटिंग में व्यस्त होने से भेंट संभव नहीं हो सकी।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

कार्यालय जिला कलक्टर, सलूम्बर के पत्रांक 1210 दिनांक 24.07.2025 को उपस्थिति पंजिका में दिनांक 10.07.2025 को हस्ताक्षर के संबंध में अपलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को अति. जिला कलक्टर के समक्ष उपस्थित होकर यह स्पष्ट किया गया कि उपस्थिति पंजिका में दिनांक 11.07.2025 के बजाय दिनांक 10.07.2025 को मानवीय भूलवश हस्ताक्षर हो गए दिनांक 10.07.2025 को तहसील कार्यालय सराड़ा में एवं 11.07.2025 को जिला कलक्टर, सलूम्बर में उपस्थित होकर राजकार्य किया गया।

आरोप संख्या–2 के संबंध में अपीलार्थी ने बताया कि तहसील कार्यालय सराड़ा कभी भी समय से पूर्व नहीं छोड़ा जाता था ना ही फोन स्वीच ऑफ किया जाता था। सराड़ा क्षेत्र टीएसपी के अंतर्गत आन्तरिक क्षेत्र होने से वहां आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होने से नेटवर्क इश्यू की समस्या बनी रहती थी, जिस कारण फोन नहीं लगने का कारण उनके द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी।

उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर, सलूम्बर से अपील पर प्राप्त टिप्पणी अन्तर्गत उल्लेखित किया गया कि अपीलकर्ता को निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेशानुसार सप्ताह में दो दिवस जिला कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। दिनांक 10.07.2025 को जिला कलक्टर, सलूम्बर द्वारा अपलार्थी को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी कार्यालय समय में उपस्थित हों एवं तत्पश्चात् भी अनुपस्थित रहने से पुनः दूरभाष के माध्यम से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। राजकीय आदेश की अनुपालना प्रत्येक कार्मिक का दायित्व है, दूरी अथवा समयाभाव का तर्क आदेश की अवहेलना का वैध औचित्य नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 10.07.2025 को अनुपस्थित रहते हुए भी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किया जाना गंभीर अनियमितता है। इस संबंध में कारण बताओ नोटिस पत्रांक 1210 दिनांक 24.07.2025 द्वारा जारी किया गया, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कि दिनांक 11.07.2025 को भी अपीलकर्ता जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। अतः आरोप संख्या 01 विधिवत स्थापित हुआ।

आरोप संख्या 02 के संबंध में – अपीलार्थी द्वारा नेटवर्क समस्या का तर्क प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अपीलकर्ता के विरूद्ध समय से पूर्व कार्यालय त्यागने एवं संपर्क न स्थापित करने की शिकायतें

संभागीय आयुक्त

प्राप्त हुई थी। दूरभाष कॉल किए जाने के पश्चात् भी अपीलकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। नेटवर्क समस्या संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत स्पष्टीकरण सामान्य एवं असमर्थित पाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि दूरभाष कॉल मिस होने की सूचना दूरभाष पर संदेश द्वारा प्राप्त होती है, जिसके पश्चात् भी अपीलार्थी द्वारा संबंधित से संपर्क स्थापित नहीं किया जाता है। अतः आरोप संख्या 02 भी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित पाया गया।

अपीलार्थी की अपील, अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, प्राप्त प्रत्युत्तर, अपीलार्थी के कथनों, जिला कलक्टर, सलूम्बर की टिप्पणी तथा प्रकरण से संबंधित अन्य दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण एवं सम्यक विचार किया गया। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया, जिस पर अपीलार्थी से जवाब प्राप्त किया गया। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा सी.सी.ए. नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया।

प्रथम दृष्ट्या यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी को निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेशानुसार सप्ताह में दो दिवस जिला कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। दिनांक 10.07.2025 को जिला कलक्टर, सलूम्बर द्वारा अपीलार्थी को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी कार्यालय समय में उपस्थित हों एवं तत्पश्चात् भी अनुपस्थित रहने से पुनः दूरभाष के माध्यम से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होना पाया गया। राजकीय आदेश की अनुपालना प्रत्येक कार्मिक का दायित्व है, दूरी अथवा समयाभाव का तर्क आदेश की अवहेलना का वैद्य औचित्य नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 10.07.2025 को अनुपस्थित रहते हुए भी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किया जाना गंभीर अनियमितता है। इस संबंध में कारण बताओ नोटिस पत्रांक 1210 दिनांक 24.07.2025 द्वारा जारी किया गया, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कि दिनांक 11.07.2025 को भी अपीलकर्ता द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं होना अपीलार्थी की लापरवाही को प्रदर्शित करते है जो अभिलेख से सिद्ध होते है।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

आरोप संख्या 02 के संबंध में – अपीलार्थी द्वारा नेटवर्क समस्या का तर्क प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अपीलकर्ता के विरूद्ध समय से पूर्व कार्यालय त्यागने एवं संपर्क न स्थापित करने की शिकायतें प्राप्त होना दर्शाया गया है। दूरभाष कॉल किए जाने के पश्चात् भी अपीलकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया जाना तथा संबंधित से संपर्क स्थापित नहीं किया जाना अपीलार्थी की राजकीय कार्यों के प्रति उदासीनता साबित होती है। उक्त तथ्य जिनके आधार पर आदेश दिया गया था, सिद्ध किये जा चुके हैं एवं सिद्ध तथ्यों के आधार पर नियम 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शास्ति पर्याप्त है।

उक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पूर्णतः प्रमाणित होना पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि जिला सलूम्बर एक नवगठित जिला है, जिसमें जिला कलक्टर द्वारा सीमित संसाधनों के साथ कार्य संपादन किया जाना अभिलेख से स्पष्ट है। ऐसी पृष्ठभूमि में किसी भी कार्मिक की अपने राजकीय दायित्वों में कोताही, जिले के कार्य निष्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से तो प्रतिकूल प्रभाव डालती ही है, साथ ही अन्य कर्मचारियों की दक्षता पर भी असर करती है। ऐसी स्थिति में हम जिला कलक्टर, सलूम्बर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, सलूम्बर का आदेश दिनांक 23.01.2026 यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। आदेश की प्रति जिला कलक्टर, सलूम्बर को प्रेषित की जावे।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर